न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 54 / 2018 दायर दिनांक 25.09.2018

उनवान

1. भवानी शंकर पिता गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. धापु बैवा गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. राजु पिता बालु जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. सोहन पिता बालु जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. गीता पत्नी बालु जाति नायक आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 11.01.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 729 रकबा 0.42 हैक्ट0, आ0सं0 730 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 स्थित है जिसमें प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है।

यह कि प्रार्थीगण की आराजीयात के अप्रार्थीगण पडोसी है तथा अप्रार्थीगण ने अपनी दादागिरी व ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजीयात में अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा है तथा आये दिन अप्रार्थीगण वादगत आराजीयात में अपनी दादागिरी एवं ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजीयात में खडी फसल में पशु चरा करके नुकसान पहुँचाते है प्रार्थीगण की मेर पाली पर खडे हरे वृक्ष काटने की धमकी दे रहे है जबकि वादगत आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा वादगत आराजीयात प्रार्थीगण के हक अधिकार एवं आधिपत्य की आराजीयात है वर्तमान में वादगत आराजीयात में प्रार्थीगण की फसल खडी है लेकिन अप्रार्थीगण वादगत आराजीयात के पडोसी है इस कारण से प्रार्थीगण को डरा धमका करके जमीन जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है तथा वादगत आराजी में खडे हरे वृक्ष काटने पर आमादा है तथा वादगत आराजी में प्रार्थीगण के तीन आम के बडे बडे वृक्ष खडे है उन पर भी अपना अधिकार जता रहे है जबकि वादगत आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है इस कारण से ऐसा कृत्य करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है इसलिए पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 02 में वर्णित वादगत आराजीयात में अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर प्रार्थीगण की आराजीयात में कब्जा नहीं करे, खडी फसल में नुकसान नहीं पहुँचावे, हरे वृक्ष नहीं क[illegible] कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति नोकर एजेन्ट, [illegible] कर्मचारी आदि से भी नहीं करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी नही फरमाया गया और प्रार्थीगण का कब्जा अप्रार्थीगण द्वारा हटा दिया गया या खडी फसल में नुकसान पहुचाया गया, मेर खडे हरे वृक्षों को काट दिये गये तो प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा प्रार्थीगण को किमती जायदाद से वंचित होना पडेगा। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है।

यह कि दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण वादगत आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेते है तो वादगत आराजीयात का कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलाये जाने हेतु वादपत्र पेश कर दिया गया है।

यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात पर दिनांक 30.07.2018 को अनाधिकार प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश व खडी फसल में नुकसान कराने पर आमादा हुये तथा प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा किया एवं अनाधिकृत रूप से वादगत आराजीयात में घुसने का प्रयास किया इसलिए प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 30.07.2018 को जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि– पक्षप्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमाया जाकर के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित हाल आ0सं0 729 रकबा 0.42 हैक्ट0 आ0सं0 730 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 में अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे खडी फसल में नुकसान नही पहुॅचावे, हरे वृक्ष नही काटे तथा प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल नहीं करे ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी नौकर, एजेन्ट, अधिनस्थ कर्मचारी, परिवारजन से भी नहीं करावे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 02.11.2022 को उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थी ने बहस एकतरफा हेतु निवेदन किया। बहस एकतरफा सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 729 रकबा 0.42 हैक्ट0, आ0सं0 730 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 हैं, जो प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसमें अप्रार्थीगण जबरन प्रवेश करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे खडी फसल में नुकसान नही पहुॅचावे, हरे वृक्ष नही काटे तथा प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल नहीं करे ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी नौकर, एजेन्ट, अधिनस्थ कर्मचारी, परिवारजन से भी नहीं करावे।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिये निम्न बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि विवादित आराजीयात आराजी संख्या 729 रकबा 0.42 हैक्ट0, आ0सं0 730 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 प्रार्थीगण के नाम पर तन्हॉ खातेदारी से दर्ज अभिलिखित होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से हक अधिकार निहित नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम पर तन्हॉ खातेदारी से दर्ज अभिलिखित है ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है एवं इस संबंध में प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया है जो कि रिकार्ड पर हैं। यह विस्तृत वाद विचारण के समय साक्ष्य से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रमाणित कर तय किया जाना ही उचित प्रतीत होता है एवं इस बाबत् किसी भी प्रकार की अवधारणा किया जाना इस समय में उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की तन्हॉ खातेदारी से दर्ज अभिलिखित आराजीयात के संबंध में ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है ऐसी स्थिति में में विधि के सुस्थापित सिद्धांत से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है।

अपूरणीय क्षति :– जहॉ तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण के तन्हॉ खातेदारी से दर्ज अभिलिखित आराजीयात के संबंध में पक्ष प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर आराजीयात के कब्जे एवं स्वामित्व को लेकर विवाद बढ़ेगा जिससे प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होनी से संभाव्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण का प्रार्थी की तन्हॉ खातेदारी से दर्ज अभिलिखित आराजीयात में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति हो यह तथ्य इस न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसी में अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र साबित कराया गया है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद संख्या 93/2018 अनवानी भवानी शंकर बनाम राजु के ताफैसला/निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी संख्या 729 रकबा 0.42 हैक्ट0, आ0सं0 730 रकबा 0.46 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 हैं, में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे एवं ना किसी अन्य से करावें।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 93/2018 अनवानी भवानी शंकर बनाम राजु के साथ हम किता रहें। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 11.01.2024 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:08:13 IST
Reason: SelfAttested